

## अचल सम्पत्ति विवरणका वर्ष 2014

107

202

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष :-

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम :- **आरविन्द चूमर**
2. वर्तमान धारित पद :- **परीक्षक**
3. कार्यालय का नाम :- **सहायता यंत्री । ३५ के बी उपनेंद्र टिकटी**
4. वर्तमान वेतन :- **24940 + 4100 + ७६१३६ + २०० + १५० + २५३० = ४२७३०**
5. भविष्य निधि क्रमांक :- **12427307**
6. कर्मचारी संख्या :- **86447727**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है ।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, *** पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय ।	अभियुक्ति	
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
<b>स्थान - टिकटी ज़िला - टिकटी</b>	<b>गृह</b>	<b>-</b>	<b>70000/-</b>	<b>नियंत्रण के नाम पर है</b>	<b>एवरीटि</b>	<b>-</b>	<b>लोन लेने के बाब्त</b>

\* जहां लागू न हो, काट दीजिए ।

हस्ताक्षर :- **10/1**

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो,  
वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए ।

नाम :- **आरविन्द चूमर**

पदनाम :- **परीक्षक रामविहार**

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी :-

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्यक्ष सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माहों की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्थानित्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे ।